20.2.2026 वकील अपीलांट अनुपस्थित। उत्तरदाता संख्या 02 उपस्थित। उत्तरदाता संख्या 01 बावजूद तामीली के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। तत्पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ताओं को बहस सुनी गई। डोयरे बहस

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

05/2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपीलांट अधिवक्ता ने निवेदन किया कि
विवादित भूमि में से अपीलांट व उत्तरदाता
संख्या 02 द्वारा संयुक्त रूप से तत्कालीन
खातेदारान से भूमि खरीद कर दिनांक
21.10.2011 को उप पंजीयक कार्यालय बालोतरा
में दस्तावेजात पंजीबद्ध करवाया गया तथा
बाद खरीद अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 02
द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया तथा
आज तक मौके पर काबिज है उक्त पंजीबद्ध
दस्तावेजात के अनुरूप ही नामान्तरकरण पारित
किया जाना चाहिए था, लेकिन उत्तरदाता संख्या
01 द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर
उत्तरदाता संख्या 02 के पक्ष में नामान्तरकरण
स्वीकृत किया गया और अपीलांट को उसके
हक हकूक से महरूम रखा गया। अतः
निवेदन किया कि आलोच्य नामान्तरकरण
अपास्त कर दस्तावेज के अनुरूप
नामान्तरकरण भरने के आदेश दिये जावें।

उत्तरदाता संख्या 02 अधिवक्ता ने
दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट
की अपील स्वीकार किये जाने पर
आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस
सुनी और बहस पर मनन किया तथा
पत्रावली का गम्भीरता-पूर्वक अवलोकन
करने पर पाया ~~कि~~ ग्राम बिठूजा तहसील
पचपदरा की खेत खसरा नम्बर 489/27
रकबा 12.10 बीघा भूमि के तत्कालीन

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

05/2025

सहखातेदार पूर्णचंद पुत्र गिरधारीलाल
हिस्सा 20/250, पृथ्वीराज पुत्र पुरखाराम
हिस्सा 31/250 व चन्द्रादेवी पत्नि
सोमकुमार हिस्सा 30/250 द्वारा
अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान अपीलांट व
उत्तरदाता संख्या 02 को पंजीकृत दस्तावेजात
दिनांक 21.10.2011 को किया गया। जो
बेचाननामे की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है।
उक्त बेचाननामा के आधार पर आलोच्य
नामान्तरण संख्या 2389 पारित हुआ थी,
जो गलत स्वीकृत किया गया, क्योंकि
विवादित भूमि अपीलांट व उत्तरदाता संख्या
02 द्वारा संयुक्त रूप से खरीद की गई
थी, उक्त बेचाननामा के अनुरूप अपीलांट
व उत्तरदाता संख्या 02 के नाम नामान्तरण
दर्ज किया जाना चाहिए थी, लेकिन अपीलांट
को उसके हक से महरूम रखा गया,
जो इसकी हकदार थी। चूंकि उत्तरदाता
संख्या 02 द्वारा अपीलांट की अपील
मेमो को स्वीकार किया है। दस्तावेजी
साक्ष्य से अपीलांट की अपील स्वीकार
योग्य है। लिहाजा अपीलांट की अपील
स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत
बिदूजा के नामान्तरण संख्या 2389
पर पारित संबंधित ग्राम पंचायत बिदूजा
के आदेश दिनांक 05.11.2011 को अपास्त
किया जाता है तथा तहसीलदार पचपदरा
को आदेशित किया जाता है कि बेचान
दस्तावेजात क्रम संख्या 20110006961 दिनांक
21.10.2011 के अनुरूप नियमानुसार नये
सिरे से जांच कर नामान्तरण पारित करें।
पत्रावली मिसल दुरुस्त होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा